भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 2(34)एसपी/2008/पार्ट प्रथम/ 9092 दिनांकः 31.10.2018

निमित्त,

मै0 गुलाब देवी,
इन्दिरा कॉलोनी, जयपुर रोड़, मालपुरा
जिला टोंक, राजस्थान – 304502

विषय : संस्थान के टी.एम.टी.सी. विभाग के अन्तर्गत स्थित वूल प्लांट में होने वाले विभिन्न कार्यो में सहायता करने से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा क्रमांक 1290503 दिनांक 28.08.2018 के तहत दी गई दर ₹63400/- प्रतिमाह सभी करों एवं खर्चो सहित सक्षम अधिकारी महोदय ने स्वीकार कर लिया है।

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति माह सभी करों एवं खर्चो सहित (अंको व शब्दों में)
1.	ऊन की बिलोईंग, कार्डिंग करके रोविग तैयार करना व रोविंग से कताई करके धागा बनाने से सम्बन्धित कार्य।	₹63400/- प्रतिमाह सभी करों एवं खर्चो सहित
2.	ऊन, ऊनी धागे की धुलाई, रंगाई, चैक कम्बल की धुलाई व फिनिशिंग, प्लेन कम्बल की धुलाई, रंगाई, फिनिशिंग तथा शालों की धुलाई व फिनिशिंग करके तैयार करने आदि से सम्बन्धित कार्य।	
3.	चरखे पर धागा बनाने एवं निटिंग मशीन पर कपड़ा बनाने का कार्य	
4.	हथकरघे/पावर लूम पर कम्बल बनाने से सम्बन्धि कार्य	
5.	हैण्डलूम पर जेन्ट्स व लेडीज शॉल बनाने से सम्बन्धित कार्य	

अतः उपरोक्त सारणी में दर्शाये गये कार्य जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पादित करने हेतु निम्न लिखित नियम व शर्तो के आधार पर आपको कार्यादेश जारी किया जाता है–

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए होगी, जिसे कार्य संतोषप्रद रहने पर सक्षम अधिकारी महोदय अनुबन्धकर्ता की सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. ठेकेदार/प्रतिनिधि को धुली हुई ऊन संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी जिसकी बिलाईंग एवं माल को कार्डिग हेतु तैयार करके रोविंग बनाने का कार्य संस्थान के वूल प्लांट में करना होगा। तैयार की गई रोविंग से कताई करके 3.5–4 एनएम गुण्वत्ता का धागा बनाना होगा।
3. ठेकेदार को ऊन की बिलोईंग, कार्डिंग करके रोविग तैयार करना व रोविंग से कताई करके धागा बनाने से सम्बन्धित कार्य करने तथा ऊन, ऊनी धागे की धुलाई, रंगाई, चैक कम्बल की धुलाई व फिनिसिंग, प्लेन कम्बल की धुलाई, रंगाई, फिनिशिंग तथा शालों की धुलाई व फिनिशिंग करके तैयार करने आदि से सम्बन्धित कार्य प्रतिदिन करना होगा ।
4. ठेकेदार/प्रतिनिधि को सभी कार्य संस्थान के ऊन प्रसंस्करण प्लांट में स्थापित मशीनों पर करना होगा।
5. उक्त से सम्बन्धित कार्यो के लिये ऊन, ऊनी घागा, कम्बल व शॉल एवं इससे सम्बन्धित सामान, रंग, डिटरजेन्ट, सोड़ा आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
6. कम्बल, शॉल, कारपेट बुनाई का कार्य संस्थान में उपलब्ध हैण्डलूम/पावरलूम पर करना होगा तथा कम्बल, शॉल, कारपेट संस्थान द्वारा बनाकर दिया जावेगा। वारपिंग, पर्न वाईडिंग, ड्राफ्टिंग, डेन्टिंग तथा बुनाई का कार्य ठेकेदार को ही करना होगा।
7. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बुनाई की पूर्व प्रक्रिया, मशीनों व हैण्डलूम/पावरलूम पर कार्य करने, कार्डिंग, धागा कताई, धागा रंगाई, कम्बल रंगाई तथा कम्बल व शॉल की धुलाई/फिनिशिंग आदि से सम्बन्धित कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।
8. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कम्बल, शॉल, हेण्डलूम विविंग कारपेट निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने कि स्थिति में ठेकेदार के पारिश्रमिक से कटौती कर ली जावेगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
9. ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता को आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगें।
10. ठेकेदार/प्रतिनिधि को समस्त कार्य प्रभारी, टी.एम.टी.सी./प्रतिनिध के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
11. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार को वूल प्लांट में स्थापित सभी प्रकार की मशीनों की प्रतिदिन प्रभारी, टी.एम.टी.सी. /प्रतिनिध के दिशा–निर्देशानुसार साफ–सफाई करनी होगी।

कटौतियां:

12. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार में शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।

13. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तें:

14. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
15. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, टी.एम.टी.सी. विभाग से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
16. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
17. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
18. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी. एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
19. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
20. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर टी.एम.टी.सी. विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
21. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।
22. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
23. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
24. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
25. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
26. इस अनुबंध में G.F.R.,2017 (Procurement of Goods and Services) में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागू होगें ।
27. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(हर्षित अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी, टी.एम.टी.सी. विभाग को प्रेषित कर लेख है कि सक्षम अधिकारी महोदय ने श्रम मंत्रालय के नियमानुसार नियमों की पालना करवाये जाने के लिये उक्त कार्य हेतु उन्हें नॉडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करले कि ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधियों का भुगतान प्रतिमाह भारत सरकार के नियमानुसार निर्धारित दरों पर उनकी उपस्थिति में कर दिया गया है जिसे सत्यापित करते हुए किये गये भुगतान की प्रति श्रीमान सक्षम अधिकारी को

प्रतिमाह रिकार्ड हेतु भिजवावें तथा ठेकेदार द्वारा किये जा रहे रजिस्टर के संधारण (Maintain) को अपने स्तर पर हर माह प्रमाणित करें तथा ठैकेदार द्वारा लगाये गये प्रतिधियों की संख्या तथा कार्य सम्पूर्ण होने की दिनांक व कितने मानव दिवस कार्य किये गये आदि का ब्योरा तुरन्त क्रय अनुभाग को सूचित करें। सक्षम अधिकारी महोदय ने यह भी निर्देश दिये है कि अनुबन्ध के दौरान किये जाने वाले कार्यो की मोनिटरिंग अच्छी प्रकार से की जावें।

2. आहरण व संवितरण अधिकारी
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी
4. सर्तकता अधिकारी
5. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
6. प्रभारी, ए.के.एम.यू.
7. निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
8. TMTC [illegible]

सक्षम अधिकारी महोदय ने उक्त प्रयोजनार्थ पांच माह तक होने वाले व्यय रूपये 317000/– वित्तीय स्वीकृति पत्रावली क्रमांक 2(34)एसपी/2008/पार्ट प्रथम/ नोट सीट पेज नं.3 पर दिनांक 29.10.2018 को प्रदान की हैं। यह व्यय वित्त वर्ष 2018–19 में संस्थान को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित बजट से वहन किया जावेगा।

[signature] 31/10/18

प्रशासनिक अधिकारी